न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)

आदेश

अनुमति वाद संख्या – 17/2023–24
अनुसूची – 14 कॉलम सं0 – 563

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
13.08.25		

आवेदक **सचिन उराँव**, पिता – स्व0 मालार उराँव, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) के द्वारा थाना नं0 – 46 स्थित, मौजा दमकारा के खाता सं0 – 19, प्लॉट सं0 – 700, रकबा – 0.48 ए0 भूमि को क्रेता :– **चोन्हास मिंज,** पिता – स्व0 फिलीप मिंज, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) के साथ बिक्री/वसीयत/बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
दमकारा	**46**	**19**	**700**	**0.48 ए0**

चौहदी :–

उत्तर – नीज बिक्रेता **दक्षिण – जुनाथन उराँव**
पूरब – डोमरा उराँव **पश्चिम – सड़क**

जमीन बिक्रेता का विवरणी

सचिन उराँव, पिता – स्व0 मालार उराँव, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता का विवरणी

चोन्हास मिंज, पिता – स्व0 फिलीप मिंज, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड)

आवेदित भूमि को आवेदक **सचिन उराँव**, पिता – स्व0 मालार उराँव, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) से मो0 1,60,000/– रू0 पर बिक्री करने का तय हुआ। आवेदक को रूपये का सख्त जरूरत करने शादी विवाह वो अन्य दीगर कार्य दर पेश हुआ के जमीन बिक्री किये बगैर रूपये का इन्तजाम नहीं हो सका, जिस कारण आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, पालकोट के कार्यालय पत्रांक 551(ii) / रा0, दिनांक 04.06.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन में आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आवेदक की अपनी खतियानी जमीन है। अपना हिस्सा में दखल कब्जा में चले आ रहे है। आवेदक के द्वारा आवेदित भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है, और न ही सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। आवेदित भूमि से संबंधित कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है, साथ ही खनन एवं वन सीमा से बाहर है। भूमि, मठ, मंदिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरूद्वारा का नहीं है। यह भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि का आवेदक **सचिन उराँव**, पिता – स्व0 मालार उराँव, जाति – उराँव, ग्राम – दमकारा, थाना – पालकोट, जिला – गुमला (झारखण्ड) को उक्त वर्णित राशि 1,60,000/– रू0 मात्र (एक लाख साठ हजार रूपये मात्र) अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा ....स्वीकृति.... प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित।

19.08.25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

19.08.25
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2026.01.08 13:46:34 +05:30
Location: 192.168.1.36